भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3301
जिसका उत्तर मंगलवार 7 अगस्त, 2018 को दिया जाना है

ऑटोमोटिव मिशन योजना

3301. श्री तेज प्रताप सिंह यादव:
श्रीमती अंजू बाला:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटोमोटिव उद्योग के विकास के लिए ऑटोमोटिव मिशन योजना, 2026 तैयार की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय ऑटोमोटिव जांच एवं अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के लिए समय-सीमा आगे बढ़ा दी है;
(ग) यदि हां, तो एनएटीआरआईपी में शामिल की जाने वाली उन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विभिन्न चरणों में विचार हो रहा है;
(घ) क्या सरकार ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए निवेश किये जाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार ने ऑटोमोटिव क्षेत्र के द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही चुनौतियों का आकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी हां, ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैः-

i. ऑटोमोटिव उद्योग शीर्ष रोजगार सृजक होगा -65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार।
ii. ऑटोमोटिव उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र और "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम की आधारभूत संचालक शक्ति होगा।
iii. ऑटोमोटिव उद्योग का उद्देश्य वाहनों के निर्यात को 5गुना और कल्पुर्जों का निर्यात 7.5गुना बढ़ाना है।
iv. एएमपी-2016 की सफलता के लिए, ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए एक समन्वित और स्थिर नीति प्रणाली की आवश्यकता है।

v. विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और इसमें सुधार करने तथा पर्यावरण सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों की परिकल्पना है।

(ख): जी हां, जुलाई, 2016 में सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार अंतिम सुविधाओं के पूर्ण होने की तिथि के मद्देनजर नेट्रिप परियोजना की समय-सीमा को जून, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग): नेट्रिप ने सिविल अवसंरचना और विभिन्न केंद्रों में स्थापित की जाने वाली परीक्षण सुविधाओं के लिए मशीनों और उपकरणों की खरीद से संबंधित अधिकांश ठेके दिए हैं। शीघ्र पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु अनेक मामलों में विभिन्न जारी सुविधाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि को बढ़ा दिया गया है।

(घ): जी हां, सरकार इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास सुविधा के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय हेतु भारित कर कटौती का राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है।

(ङ) और (च): एएमपी-2016-26 तैयार करते समय सरकार ने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का आकलन किया है। इन चुनौतियों में आउटपुट की सतत वृद्धि, निर्यात संबंधी मुद्दे, मुद्रा मूल्यह्रास, भीड़ और प्रदूषण, अपर्याप्त अवसंरचना विकास, वित्त और कराधान शामिल हैं। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक निष्पक्ष और अनुमानित शासी माहौल सुनिश्चित करने के लिए एएमपी-2016-26 ऑटो क्षेत्र के लिए मुख्य नीतियों के मूल्यांकन पर मत स्पष्ट करता है, ताकि उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी विनियमों को समूचे राष्ट्र और केंद्र तथा राज्यों में एक साथ कार्यान्वित करने के लिए एक पैमाने में व्यापक रूप से तैयार किया जा सके।

******